बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0–2/नि0–1–101/2025 – 104 पटना, दिनांक– 25.3.25

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस0एल0पी0 (सी0) सं0–7257/2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामलें में दिनांक–04.10.2024 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–15 दिनांक–01.01.2025 एवं 667 दिनांक–24.02.2025 द्वारा विज्ञापन सं0–01/2019 के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (यांत्रिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थी को अद्योलिखित शर्तो के अधीन कनीय अभियंता (यांत्रिक) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर–07 एवं समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य अन्य भत्तो के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम/गृह जिला	पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	पंजीयन सं0	आयोग द्वारा अनुशंसित समेकित क्र0सं0	जन्म तिथि	चयनित कोटि/कोटि	नियुक्त अभ्यर्थी का छायाचित्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री मुकेश कुमार/ नालन्दा	श्री रामानन्द प्रसाद, ग्राम–पूना (झरी विगहा), डाकघर–पूना, थाना–हिलसा, जिला–नालन्दा, राज्य–बिहार, पिन–801301	BR00150010002637	1074	12-05-1987	BC/ BC	

2) यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3) यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों/संगत प्रमाण पत्रों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4) यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जा रही है। यदि भविष्य में किसी भी नवनियुक्त कनीय अभियंता (यांत्रिक) के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

5) वैसे अभ्यर्थी जो पहले से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों/निकायों में कार्यरत है, उन्हें योगदान के समय नियोक्ता संस्थान के सक्षम प्राधिकार से निर्गत विरमन–पत्र/स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6) सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में निम्न शर्तें अधिरोपित होंगे :-

(i) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित सरकारी सेवक नहीं है। अतः आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित नियुक्ति के उपरांत ऐसे संविदा नियोजित कनीय अभियंता संविदा नियोजन से त्याग पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान करेंगे।

(ii) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित वैसे कनीय अभियंताओं जिनका आयोग द्वारा चयन के क्रम में संविदा अवधि में किये गये कार्यानुभव के लिए अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ प्रदत्त की गयी होगी, को उनके पदस्थापित प्रमंडल में योगदान के समय उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच कर संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे। कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

(iii) जिन संविदा नियोजित कर्मियों के विरूद्ध सम्प्रति अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, उनके मामले में प्रशासी विभाग द्वारा प्रत्येक मामले को गुणा-गुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(iv) संविदा अवधि में की गयी सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरान्त अनुमान्य नहीं होगा।

7) बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8) अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9) सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (यांत्रिक) के वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापन के उपरांत नव पदस्थापन कार्यालयों में योगदान की तिथि से देय होगा।

10) नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (यांत्रिक) के वेतनादि का भुगतान संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उनके शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापनोंपरांत किया जायेगा।

11) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विज्ञापन सं0 01/2019 (कनीय अभियंता) के विरूद्ध दायर विभिन्न वादों में पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से उक्त नियुक्ति प्रभावित होगी।

12) भविष्य में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तद्नुसार संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक–2 / नि0–1–101 / 2025 - 90 **पटना, दिनांक–** 25.3.25

प्रतिलिपि– नवनियुक्त कनीय अभियंता (यांत्रिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं आवासीय से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपना योगदान अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को समर्पित करें।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक–2 / नि0–1–101 / 2025 -90 **पटना, दिनांक–** 25.3.25

प्रतिलिपि–सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक–2 / नि0–1–101 / 2025 -90 **पटना, दिनांक–** 25.3.25

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभाग, विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक–2 / नि0–1–101 / 2025 -90 **पटना, दिनांक–** 25.3.25

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव का कोषांग / संयुक्त सचिव / संयुक्त सचिव (प्र0को0) / मुख्य अभियंता (यांत्रिक) / सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) / सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित) / बजट शाखा / आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक–2 / नि0–1–101 / 2025 - 90 **पटना, दिनांक–** 25.3.25

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ / अधीक्षक, राजकी मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)